

मुकदमों का विवरण

डॉ. प्रकाश एम. पी. और अन्य बनाम

केरल और अन्य राज्य (2012 की सिविल अपील संख्या 7580) 25 अगस्त, 2023

[हिमा कोहली और राजेश बिंदल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: हालांकि, चिकित्सा श्रेणी में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए जारी किए गए तीन सरकारी आदेशों (जी. ओ.) को संभावित प्रकृति का बनाया गया था। अपीलकर्ताओं ने तीन जी. ओ. में एक खंड को शामिल नहीं करने के राज्य के फैसले पर सवाल उठाया। उनके संचालन को पूर्वव्यापी बनाते हुए जारी किया गया, जो अन्यथा उनके लाभ के लिए सुनिश्चित होता।

केरल सेवा नियम -आर. 60 (ए) या 60 (सी) भाग-I-सरकारी आदेश दिनांक 14.01.2010 ने चिकित्सा शिक्षा सेवा के अंतर्गत चिकित्सा श्रेणी में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी, जिसके बाद, जी. ओ. दिनांक 09.04.2012 सहित तीन जी. ओ. जारी किए गए, जिसके अंतर्गत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 56 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई-हालांकि, तीनों जी. ओ. संभावित प्रकृति के थे-जिनकी प्रकृति थी:

आयोजित किया गया: एकमात्र अंतर यह था कि जी. ओ. दिनांक 14.01.2010 के विपरीत, राज्य द्वारा जारी किए गए बाद के तीन जी. ओ. को संभावित बना दिया गया था, इस प्रकार दंत चिकित्सा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक धाराओं में शिक्षण संकायों को कोई राहत नहीं मिली, जो इस बीच सेवानिवृत्त हो गए थे-ऐसा निर्णय विशेष रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है-यह राज्य को यह निर्णय लेना है कि क्या परिस्थितियों की मांग है कि कर्मचारियों के एक समूह के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए निर्णय लिया जाए या नहीं-यह मान लिया जाना चाहिए कि राज्य का वजन 224 था।

/

/

[2023] 14 एस सी आर।

आयु का विस्तार देने के किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पक्ष और विपक्ष-इसमें अपीलकर्ता उन पर सेवानिवृत्ति की विस्तारित आयु को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं और यह मान सकते हैं कि राज्य द्वारा बाद की तारीख में आदेशित आयु में वृद्धि के आधार पर, वे वैध अपेक्षा के आधार पर जी. ओ. दिनांक 09.04.2012 से देय मौद्रिक लाभ सहित सभी लाभों के हकदार होंगे-डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति

की आयु बढ़ाने के पीछे का विचार डॉक्टरों की कमी के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति का ध्यान रखना था, जिसके परिणामस्वरूप पढ़ाई या रोगी की देखभाल प्रभावित हो रही थी- यह केवल किसी विशेष वर्ग को लाभ प्रदान करने के लिए नहीं था।[पैरा 15,17 और 19]

सिद्धांत-वैध अपेक्षा का सिद्धांत-सेवा नियम:

आयोजित किया गया:वैध अपेक्षा के सिद्धांत की उन मामलों में कोई भूमिका नहीं है जो सेवा विनियमों द्वारा सख्ती से नियंत्रित होते हैं-यह एक ऐसी कवायद है जो राज्य द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में की जाती है और इसे न्यायालय द्वारा अनुचित हस्तक्षेप को नहीं रोकना चाहिए।[पैरा 19]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और एक अन्य बनाम बी. डी.

सिंघल और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 466; मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड। बनाम भारत संघ (2012) 11 एससीसी 1:[2012] 7 एस. सी. आर. 644-निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2010 के डब्ल्यू. ए. No.1338 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक <आई. डी. 1 से 2012 की सिविल अपील No.7580।

रूप:

साणंद रामकृष्णन, राजीव मिश्रा, मदन एम. बोरा, ए. रघुनाथ, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सी. के. सासी, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता।

295

डॉ. प्रकासन एम. पी. और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य 296

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

हिमा कोहली, जे.

1. अपीलार्थी, जो प्रत्यर्थी संख्या 1-केरल राज्य 1 में स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संकाय के सदस्य हैं, केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम 2 द्वारा पारित 6 अगस्त, 2010 के फैसले से व्यथित हैं, जो विद्वान एकल न्यायाधीश 3 द्वारा पारित 19 जुलाई, 2010 के फैसले से सहमत है। अपीलकर्ताओं द्वारा अनुरोध की गई राहत सरकारी आदेश 4 दिनांक 14 जनवरी, 2010 5 के लाभ को बढ़ाकर उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए थी, जिसमें 1 मई, 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ चिकित्सा शिक्षा सेवा

के अंतर्गत चिकित्सा श्रेणी में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी। की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।

तथ्य:

2. तत्काल मामले में उठाए गए मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, हम पहले प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं। राज्य ने 14 जनवरी, 2010 को एक सरकारी आदेश 6 जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्ज किया गया कि राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में कई विषयों में योग्य और अनुभवी चिकित्सा संकायों की कमी थी और 55 वर्ष की आयु में चिकित्सा डॉक्टरों सहित संकाय की सेवानिवृत्ति के कारण, कई विभागों को चिकित्सा डॉक्टरों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था। यह देखते हुए कि राष्ट्रीय स्तर पर, मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष थी और सेवा में वरिष्ठ प्रोफेसरों को बनाए रखने से राज्य को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित संशोधित मानदंडों के अनुसार स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी, राज्य ने आदेश दिया कि:

1 संक्षेप में 'द स्टेट'

2 2010 की रिट अपील संख्या 1338 में 3 2010 की रिट याचिका (सिविल) 13537 में 4 संक्षिप्त 'जी. ओ.' के लिए

5 जी. ओ. (एमएस) No.14/2010/H&FWD 6 जी. ओ. (एमएस) No.14/2010/H&FWD

/

[2023] 14 एस सी आर।

“सरकार ने विभिन्न पहलुओं की जांच की है और यह आदेश देते हुए खुशी हो रही है कि चिकित्सा शिक्षा सेवा के अंतर्गत चिकित्सा श्रेणी में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु मौजूदा 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। इस आदेश में 1.5.2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। यह आदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा के अंतर्गत दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मसी और गैर-चिकित्सा श्रेणियों के संकायों के लिए लागू नहीं है। ”

3. सरकारी होम्योपैथिक महाविद्यालयों के डॉक्टरों/प्रोफेसरों को 14 जनवरी, 2010 के शीर्षक वाले जी. ओ. के दायरे से बाहर किए जाने से नाराज, अपीलकर्ताओं ने केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका 7 का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी होम्योपैथिक महाविद्यालयों में काम करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टरों को उक्त जी. ओ. का लाभ बढ़ाने का अनुरोध किया गया। उक्त रिट याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा 29 मार्च, 2010 को राज्य को अपीलार्थियों के लंबित अभ्यावेदनों पर विचार करने और तीन महीने के भीतर एक आदेश पारित करने के निर्देश के साथ किया गया था। चूंकि राज्य ने अपने अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए अपीलकर्ताओं ने एक बार फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक अन्य रिट याचिका 3 का नेतृत्व किया, जिसे

विद्वान एकल न्यायाधीश ने 19 जुलाई, 2010 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने केरल सेवा नियम 8 के नियम 60 (ए) या 60 (सी) भाग (आई) में संशोधन नहीं किया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि के. एस. नियम के नियम 60 (सी) से प्राप्त मौजूदा नियम स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा गया कि अपीलकर्ताओं ने 14 जनवरी, 2010 के जी. ओ. को चुनौती नहीं दी थी। इसके बजाय, उन्होंने यह दावा करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि यह उन लोगों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए ताकि वे सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि से आगे सेवा अंतर्गत बने रह सकें, जो कि अनुज्ञेय नहीं थी।

4. उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट, अपीलकर्ताओं ने एक अपील 2 का नेतृत्व किया जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त विचार के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, खंड पीठ ने कहा कि चूंकि मेडिकल कॉलेजों के शिक्षण कर्मचारियों के लिए आयु का विस्तार एक नीतिगत निर्णय है, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1-राज्य को कोई निर्देश जारी करने के लिए खुला नहीं है। इसलिए वर्तमान अपील।

7 2010 की लिखित याचिका (सी) No.10709 8 संक्षिप्त 'के. एस. नियम' 297 के लिए

डॉ. प्रकाश एम. पी. और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.] 298

संबंधित नियम:

5. राज्य द्वारा नियोजित व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को के. एस. नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है, जब तक कि उन्हें नियम 3 में निर्धारित पूरी तरह से या आंशिक रूप से छूट नहीं दी जाती है। नियम 60 के. एस. नियमों के भाग I के अध्याय VIII के अंतर्गत आता है जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नियम 60 (सी) जैसा कि यह समय पर प्रासंगिक बिंदु पर था, निर्धारित करता है कि:

“60 (ग) सभी शैक्षणिक संस्थानों (महाविद्यालयों के प्राचार्यों सहित) के शिक्षण कर्मचारी, जो एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान 55 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, उस महीने के अंतिम दिन तक सेवा में बने रहेंगे जिसमें शैक्षणिक वर्ष देय है, उस महीने के अंतिम दिन से पहले जिसमें वे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। लेकिन वे उस तारीख के बाद अपनी सेवा की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि या पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। अगर वे छुट्टी पर हैं

जिस दिन वे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं और यदि छुट्टी के लिए शैक्षणिक वर्ष के अंतिम दिन से पहले उनकी ड्यूटी पर लौटने की कोई संभावना नहीं है, तो वे उस महीने के अंतिम दिन से प्रभावी तरीके से सेवानिवृत्त होंगे जिसमें वे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में जहां इस नियम के अंतर्गत आने वाले अधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख या

उसके बाद सेवानिवृत्ति की तारीख या निलंबन की तारीख, जो भी बाद में हो, पर निलंबित हैं।

हालाँकि, यदि जिस दिन शिक्षण कर्मचारी (महाविद्यालयों के प्राचार्यों सहित) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, वह संस्थान फिर से खुलने के दिन से शुरू होने वाले एक महीने की अवधि के भीतर आता है, तो वे इस तरह के फिर से खुलने की तारीख से प्रभावी रूप से ड्यूटी पर नहीं रहेंगे और उन्हें फिर से खोलने की तारीख से उस महीने के अंतिम दिन तक अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी जिसमें वे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। वे वेतनवृद्धि के लाभ के हकदार होंगे यदि यह उस वास्तविक तिथि से पहले देय है जिस दिन वे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। "

6. नियम 60 (ए) जो हमारी चर्चा के लिए अधिक प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

"60. (अ): इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के अलावा, एक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख उस महीने के अंतिम दिन की दोपहर से प्रभावी होगी जिसमें वह आयु प्राप्त करता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

55 वर्षों से। उसे इस तारीख के बाद केवल सार्वजनिक आधार पर सरकार की मंजूरी के साथ रखा जा सकता है जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन उसे 60 वर्ष की आयु के बाद बहुत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं रखा जाना चाहिए। "

7. जैसा कि उपरोक्त से एकत्र किया जा सकता है, के. एस. नियमों का नियम 60 (ए) एक सामान्य प्रावधान है और उन शिक्षण कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है जिनके लिए एक अलग प्रावधान निर्दिष्ट रूप से शामिल किया गया है, यानी नियम 60 (सी) जो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है और उन्हें सेवानिवृत्ति के मामले में एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत करता है। नियम 60 (सी) में निर्धारित किया गया है कि यदि शिक्षण कर्मचारी किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, तो भी वे उक्त नियम में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सेवा में बने रहेंगे। स्पष्ट रूप से, शिक्षण कर्मचारियों के लिए इस अपवाद को बनाने के पीछे का उद्देश्य उन छात्रों के हितों की रक्षा करना है जिनकी पढ़ाई एक शैक्षणिक सत्र के बीच में एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकती है। 8. 16 दिसंबर, 2010 को वर्तमान अपील में नोटिस जारी किए जाने के बाद, कुछ बाद के घटनाक्रम हुए जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा दायर एक आवेदन में सामने लाया गया था। वर्ष 2012 में, प्रत्यर्थी संख्या 1-राज्य सरकार ने दस दिनों के अंतराल में तीन जी. ओ. जारी किए, जिनके नाम हैं-जी. ओ. दिनांक 30 मार्च, 2012, जी. ओ. दिनांक 7 अप्रैल, 2012 और जी. ओ. दिनांक 9 अप्रैल, 2012। जी. ओ. दिनांक 30 मार्च, 2012 9 में, 14 जनवरी, 2010 के पूर्ववर्ती जी. ओ. को ध्यान में रखते हुए, जिसमें चिकित्सा शिक्षा सेवा के अंतर्गत चिकित्सा श्रेणी में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष

से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी, राज्य ने आदेश दिया कि सरकारी दंत महाविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों में दंत चिकित्सा शाखाओं में काम करने वाले डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाए, ताकि मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाले अनुभवी संकाय की सेवानिवृत्ति के कारण शोध छात्रों को होने वाली समस्याओं से बचा जा सके।

9. इसके बाद 7 अप्रैल, 2012 को जी. ओ. जारी किया गया, जिसके तहत, इसी तरह के विचारों के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 1-राज्य सरकार ने आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ाने वाले कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। इसके बाद आया।

9 जी. ओ. (एमएस) No.105/2012/H&FWD 10 जी. ओ. (एमएस) No.107/2012/H&FWD 299

डॉ. प्रकाश एम. पी. और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.] 300

जी. ओ. दिनांक 9 अप्रैल, 2012 11, जिसके तहत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 56 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई, जिससे वे आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा के शिक्षण कर्मचारियों के बराबर हो गए। यह उल्लेखनीय है कि 14 जनवरी, 2010 को जी. ओ. जारी होने के बाद राज्य द्वारा जारी किए गए तीनों जी. ओ. संभावित प्रकृति के थे।

10. प्रतिवादी संख्या 1-राज्य सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त क्रमिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ताओं द्वारा मूल रूप से आक्षेपित फैसले पर हमला करने के लिए लिए गए आधार और उनका तर्क कि जी. ओ. दिनांक 14 जनवरी, 2010 भेदभावपूर्ण था क्योंकि यह मेडिकल कॉलेजों में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ बेहतर व्यवहार करता था, हालांकि उन्होंने एक समरूप समूह बनाया था, अब उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, अपील में संशोधन के लिए आवेदन किए बिना, अपीलकर्ताओं ने 1 अक्टूबर, 2012 को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया, जिसमें एक शिकायत उठाई गई थी कि हालांकि उनके द्वारा राज्य को कई अभ्यावेदन दिए गए थे जब वे अभी भी सेवा में थे, 9 अप्रैल, 2012 को बाद में जारी किए गए जी. ओ. को पूर्वव्यापी प्रभाव अधिनियम नहीं दिया गया था, जिससे उन्हें आयु वृद्धि के लाभ से वंचित कर दिया गया था, जिसके लिए वे वैध रूप से हकदार थे और इस बीच वे सेवानिवृत्त हो गए थे। इस तर्क में अंतर्निहित अपीलार्थियों द्वारा ली गई वैध अपेक्षा की दलील है।

विश्लेषण:

11. यह अच्छी तरह से तय है कि सेवानिवृत्ति की आयु विशुद्ध रूप से एक नीतिगत मामला है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित सेवा नियमों और विनियमों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू सेवानिवृत्ति की अलग आयु निर्धारित करना अदालतों का काम नहीं है। न ही न्यायालय इस बात पर जोर दे सकता है कि एक बार जब

राज्य ने होम्योपैथिक कॉलेजों में पढ़ाने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए एक समान सरकारी आदेश जारी करने का निर्णय लिया था, जैसा कि दंत चिकित्सा शाखा और आयुर्वेदिक शाखा से संबंधित शिक्षण कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में जारी किया गया था, तो उक्त जी. ओ. को पूर्वव्यापी बनाया जाना चाहिए था, जैसा कि 14 जनवरी, 2010 को राज्य द्वारा जारी किए गए जी. ओ. के समय किया गया था।

11 जी. ओ. (एमएस) No.108/2012/H&FWD

/

[2023] 14 एस सी आर।

और 1 मई, 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव अधिनियम दिया गया। ये सभी नीतिगत मामले हैं जो राज्य सरकार को शामिल करते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग को आयु विस्तार का लाभ देने का भी चुनाव कर सकता है, जबकि अन्य लोगों को वैध विचारों के लिए उक्त लाभ से इनकार कर सकता है जिसमें वित्तीय निहितार्थ, प्रशासनिक विचार, सेवा की आवश्यकताएं आदि शामिल हो सकते हैं।

12. न्यू ओखला में सामने आए तथ्यों पर कुछ तुलनीय मामले में

औद्योगिक विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम। बी. डी. सिंघल और

अन्य 12, अपीलकर्ता-प्राधिकरण (एन. ओ. आई. डी. ए.) ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश करने का संकल्प लिया था। उक्त प्रस्ताव, जब पूर्व अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके कारण पीड़ित कर्मचारियों ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसकी अनुज्ञात गई और नोएडा को इस मामले पर नए सिरे से विचार करने और अपने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार के लिए यह खुला छोड़ दिया गया था कि वह सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि को उस तारीख से प्रभावी बनाने पर विचार करे जब नोएडा ने आयु वृद्धि के लिए वित्तीय बोझ वहन करने का संकल्प लिया था या ऐसी तारीख से जो वह समीचीन समझे। इस बार, राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए नोएडा से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उक्त निर्णय को संभावित बना दिया। राज्य सरकार द्वारा निर्णय को पूर्वव्यापी बनाने से इनकार करने से व्यथित होकर, प्रत्यर्थियों ने लंबित रिट याचिका में संशोधन किया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञात गई थी, जिसने निर्णय को संभावित बनाने के प्रावधान को निरस्त कर दिया और निर्देश दिया कि ऐसे प्रत्यर्थियों में से जो तब तक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ सेवानिवृत्ति की विस्तारित आयु तक काम किया हुआ माना जाएगा। उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील करने के लिए विशेष

अनुमति के लिए एक याचिका का नेतृत्व किया, जिसे इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुज्ञात थी:

“22. सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं, यह नीति का विषय है। यदि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए कोई निर्णय लिया गया है, तो वह तिथि जिससे वृद्धि होती है

12 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 466 301

डॉ. प्रकाश एम. पी. और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.] 302 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

इसे नीति के दायरे में लाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने

यह आदेश देते हुए कि राज्य सरकार का सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय 29 जून 2002 का होना चाहिए, स्पष्ट रूप से उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की दृष्टि खो चुका है, अधिक विशिष्ट रूप से (i) 22 सितंबर 2009 को मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति; और (ii) 17 जनवरी 2012 के खंड पीठ के निर्णय ने 22 सितंबर 2009 को प्रस्ताव को अस्वीकार करने के आदेश को दरकिनार करने से इनकार कर दिया, जो वास्तविकता में आ गया है। लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर एक अधिक मौलिक आपत्ति है।

निर्णय में असंवेदनशीलता इस तथ्य में निहित है कि उच्च न्यायालय ने नीति निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले पर अपना अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर लिया है। क्या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए और यदि हां, तो जिस तारीख से इसे लागू किया जाना चाहिए, वह नीति का विषय है जिसमें उच्च न्यायालय को प्रवेश नहीं करना चाहिए था।

xxx xxx xxx

24. सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय नोएडा द्वारा पारित प्रस्ताव से पहले का होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, यह राज्य सरकार को तय करना था। अंततः, प्रत्येक कट-ऑफ को खींचने में, कुछ कर्मचारी लाइन के एक तरफ खड़े होंगे जबकि अन्य को अन्यथा तैनात किया जाएगा। कठिनाई का यह तत्व उच्च न्यायालय के लिए यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि निर्णय मनमाना था। जब राज्य

सरकार ने मूल रूप से 28 नवंबर 2001 को अपने स्वयं के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया था, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को वित्तीय प्रभाव के आधार पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया था, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाते हैं।

25. समय-समय पर राज्य के अधिकारी प्रत्येक संगठन में प्रचलित सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते थे।.....राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि यह प्रत्येक संगठन के लिए था कि वह वित्तीय बोझ के प्रभाव पर विचार करे और निर्धारित करे, और इसके आधार पर संगठन को सरकार की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना था।

26. उच्च न्यायालय का यह मत कि **30** सितंबर **2012** को सरकारी आदेश में सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाना मनमाना है, इस आधार पर आधारित प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-कर्मचारियों को नोएडा द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का निहित अधिकार है। हालांकि,

अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि विनियमों-जिसमें इस मामले में संशोधन शामिल होंगे-के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार की मंजूरी पर और सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से सेवा विनियमों में संशोधन के बाद ही कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का निहित अधिकार होगा। 30 सितंबर 2012 को जारी सरकारी आदेश के पैरा 1 (ii) में स्पष्ट रूप से और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आदेश संभावित रूप से लागू होगा।

सरकारी आदेश को केवल तभी पूर्वव्यापी आवेदन दिया जा सकता है जब स्पष्ट रूप से कहा जाए या आवश्यक निहितार्थ के माध्यम से अनुमान लगाया जाए। इसलिए, प्रत्यर्थी-कर्मचारी एक निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि को उस तारीख से प्रभावी बनाया जाना चाहिए जिस दिन नोएडा ने सरकार की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का संकल्प लिया था। "

(जोर दिया गया)

13. तत्काल मामले में, दिनांक 14 जनवरी, 2010 को जी. ओ. जारी करते समय, सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए राज्य के साथ जिन कारणों पर विचार किया गया था, उन्हें स्पष्ट किया गया है। पाठों में पदोन्नति के लिए मध्यम स्तर के संवर्ग में योग्य हाथों की कमी, इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि उक्त कारण से कई स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी और यह भी तथ्य कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सेवा में वरिष्ठ प्रोफेसरों को बनाए रखने से राज्य सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रसारित संशोधित मानदंडों के संदर्भ में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।

14. इसी तरह, चिकित्सा शिक्षा सेवा के अंतर्गत दंत चिकित्सा संकायों में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर विचार करते हुए, चिकित्सा शिक्षा निदेशक द्वारा संबोधित एक पत्र पर ध्यान देते हुए, जिसमें कहा गया था कि वरिष्ठ दंत चिकित्सा संकाय के कुछ उच्च

योग्यता प्राप्त सदस्य सेवानिवृत्त होने वाले थे और उनकी सेवानिवृत्ति से शोध छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

डॉ. प्रकाश एम. पी. और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.] 304

उनके अधीन काम करने के साथ-साथ सरकारी दंत महाविद्यालयों अंतर्गत चल रहे कुछ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन अंतर्गत बाधा डालने के लिए राज्य ने उनकी आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की अनुमति दी।

15. जब 7 अप्रैल, 2012 को तीसरे जी. ओ. की बात आई, तो उसमें आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के निदेशक की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया, जिन्होंने उच्च श्रेणियों में योग्य शिक्षा प्राप्त शिक्षण कर्मचारियों की कमी और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की ओर इशारा किया, जिसने सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम में बी. ए. एम. एस. सीटों की संख्या को 70 से घटाकर 50 कर दिया था और विभिन्न विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने आयुर्वेद महाविद्यालयों में शिक्षण संकाय की सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया। अंत में, 9 अप्रैल, 2012 का जी. ओ. आया, जिसमें सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज, तिरुवन्नाथपुरम के प्राचार्य से प्राप्त अभ्यावेदन पर ध्यान देते हुए, होम्योपैथिक कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारियों को भी इसी तरह का लाभ दिया गया। एकमात्र अंतर यह था कि 14 जनवरी, 2010 के जी. ओ. के विपरीत, राज्य द्वारा जारी किए गए बाद के तीन जी. ओ. को संभावित बनाया गया था, इस प्रकार दंत चिकित्सा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक धाराओं में शिक्षण संकायों को कोई राहत नहीं मिली, जो इस बीच सेवानिवृत्त हो गए थे। इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ताओं ने तीन जी. ओ. में एक खंड को शामिल नहीं करने के राज्य के निर्णय पर सवाल उठाते हुए अतिरिक्त एफिडेविट का नेतृत्व किया। बाद में जारी किया गया, जिससे उनके संचालन को पूर्वव्यापी बना दिया गया, जो अन्यथा उनके लाभ के लिए सुनिश्चित होता।

16. यदि मामला वैसा ही होता जैसा कि आक्षेपित निर्णय पारित होने की तारीख को था, तो शायद अपीलकर्ता यह तर्क दे सकते थे कि राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दी गई गारंटी के अनुरूप होनी चाहिए और जब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाली सभी धाराओं के डॉक्टरों/प्रोफेसरों ने एक समान वर्ग का गठन किया और वे सेवा नियमों और विनियमों के एक ही सेट द्वारा शासित होते हैं तो उनके साथ अलग-अलग व्यवहार करने में कोई तर्क नहीं था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के बाद-राज्य सरकार ने दंत चिकित्सा संकायों, आयुर्वेदिक संकायों और होम्योपैथिक संकायों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए लगातार तीन जी. ओ. जारी किए।

[2023] 14 एस सी आर।

अपीलार्थियों का यह कहना कि इन जी. ओ. को पूर्वव्यापी प्रभाव अधिनियम दिया जाना चाहिए, भले ही उसमें डाले गए प्रभाव अधिनियम का कोई खंड नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

17. इस तरह का निर्णय विशेष रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह राज्य को तय करना है कि क्या परिस्थितियों की मांग है कि कर्मचारियों के एक समूह के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए निर्णय लिया जाए या नहीं। यह मान लिया जाना चाहिए कि राज्य ने आयु बढ़ाने के किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी लाभ-हानि पर विचार किया होगा। जहां तक इस तरह के निर्णय की पूर्वव्यापीता के पहलू की बात है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा तय की गई कट-ऑफ तिथि जो भी हो, कुछ कर्मचारियों को हमेशा ठंड में छोड़ दिया जाता था। लेकिन केवल यही निर्णय को बुरा नहीं बनाएगा और न ही यह न्यायालय के लिए नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने का आधार होगा जो निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार के लिए सबसे अच्छा है। इसमें अपीलकर्ता सेवानिवृत्ति की विस्तारित आयु को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं और यह मान सकते हैं कि राज्य द्वारा बाद की तारीख में आयु में वृद्धि के आदेश के आधार पर, वे वैध अपेक्षा के आधार पर 9 अप्रैल, 2012 के जी. ओ. से देय मौद्रिक लाभ सहित सभी लाभों के हकदार होंगे।

18. उल्लेखनीय है कि नोएडा (उपरोक्त) के मामले में उत्तरदाताओं-कर्मचारियों द्वारा की गई इसी तरह की दलीलें उठाई गई थीं, जिसमें कर्मचारियों ने पूर्वव्यापी रूप से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञात्मक बहिष्कार और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों का आह्वान करने की मांग की थी और उन्हें लागू नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। इस दृष्टिकोण को लेने के लिए, निर्भरता रखी गई थी

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड पर। बनाम भारत संघ **13** जिसमें यह

न्यायालय ने राय दी थी कि यदि जारी किया गया संचार एक प्रस्ताव या केवल एक सिफारिश थी, तो वचन निरसन का सिद्धांत इस सरल कारण से लागू नहीं होगा कि उक्त सिद्धांत को लागू करने के लिए एक वादा होना चाहिए और उक्त वादे के आधार पर, संबंधित पक्ष को अपने पूर्वाग्रह के अनुसार काम करना चाहिए था। नोएडा मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी-कर्मचारियों द्वारा दिए गए इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया था कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत लागू होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त सिद्धांत का कोई स्थान नहीं हो सकता है जब सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि "एक सार्वजनिक कार्य" है जो निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित है -

डॉ. प्रकाश एम. पी. और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

संविधि और सुसंगत सेवा विनियम।वर्तमान मामले में भी यही स्थिति है।

19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता युद्ध का नारा लगाने वाले पहले व्यक्ति थे, जब उन्होंने 14 जनवरी, 2010 को जी. ओ. का लाभ बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में एक नहीं, बल्कि दो रिट याचिकाओं का नेतृत्व किया।लेकिन यह रिकॉर्ड की बात है कि पूरे समय उनके पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नहीं दिया गया था।वर्तमान कार्यवाही में भी, इस बीच सेवानिवृत्त होने वाले अपीलार्थियों के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था। उनके लिए 9 अप्रैल, 2012 के जी. ओ. में पूर्वव्यापीता को पढ़कर घड़ी को वापस नहीं रखा जा सकता है, जब राज्य ने ऐसा कोई खंड नहीं डालने का फैसला किया था और स्पष्ट रूप से इसे संभावित प्रभाव अधिनियम के साथ लागू करने का इरादा था।डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पीछे का विचार डॉक्टरों की कमी के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति का ध्यान रखना था, जिसके परिणामस्वरूप पढ़ाई या रोगी की देखभाल प्रभावित हो रही थी।यह केवल किसी विशेष वर्ग को लाभ प्रदान करने के लिए नहीं था।वैध अपेक्षा के सिद्धांत की उन मामलों में कोई भूमिका नहीं है जो सेवा नियमों द्वारा सख्ती से नियंत्रित होते हैं।यह एक ऐसी कवायद है जो राज्य द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में की जाती है और न्यायालय द्वारा अनुचित हस्तक्षेप को नहीं रोका जाना चाहिए।

20. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा जाता है। पक्षकारों को अपने स्वयं के खर्च वहन करने के लिए छोड़ते हुए वर्तमान अपील को निरर्थक बताते हुए खारिज करना उचित समझा जाता है।तदनुसार आदेश दिया।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान